



शैलम

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक-24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस.एम.एल. Valid upto 31-12-2020 सोमवार 11-18 जून 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या अभी तक नहीं बन पा रही जयराम की स्वीकार्यता

शिमला/शैल। क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कुर्सी के लिये अभी भी खतरे के बादल बरकरार है यह सवाल मुख्यमंत्री के अपने ही ब्यान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बन गया है। जयराम ने प्रेस क्लब शिमला के एक आयोजन में जब यह कहा कि पहले कोई और मुख्यमंत्री बन रहा था लेकिन अब जयराम बन गया है। “बन गया है तो स्वीकार भी कर लो” तब इस ब्यान पर हर कोई हैरान था। क्योंकि प्रदेश की जनता ने तो भाजपा को पूरा बहुमत देकर सत्ता में बैठा दिया है और इसे विपक्ष से कोई खतरा नहीं है। यदि जयराम को कोई खतरा होगा तो वह अपनी ही पार्टी से होगा। यह स्वभाविक है कि जब जयराम मुख्यमंत्री बन गये हैं तो पार्टी के भीतर तो उनके ही समकक्ष या वरिष्ठ हैं उनके मन में भी इस कुर्सी पर बैठने की ईच्छा होना कोई अपराध नहीं है। हाईकमान को सरकार से परिणाम चाहिये। उसमें अब पहला टेस्ट आ रहा है लोकसभा चुनावों का इसमें हाईकमान को यदि जयराम फिर से प्रदेश की चारो सीटें जीतकर दे देते हैं तो उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर हाईकमान को सोचने का मौका मिल जायेगा। पार्टी के भीतर बैठे दूसरे लोगों को भी यह कहने का मौका मिल जायेगा कि इस नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव सुरक्षित नहीं होगा। राष्ट्रीय दलों में आकलन का मानदण्ड यही रहता है।

इस आइने में यदि जयराम के पांच माह के कामकाज का आकलन किया जाये तो स्थिति कोई बहुत सुखद नज़र नहीं आती है। अभी जो पेयजल का संकट राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में पेश आया है उसमें सरकार के प्रयास और प्रबन्धन कितने पाकसाफ रहे हैं इसका अन्दाजा उच्च न्यायालय की टिप्पणी से ही लग जाता है। उच्च न्यायालय ने इस संकट के लिये जिम्मेदार लोगों को चिह्नित करके उनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये थे और अदालत को इससे अवगत करवाने के भी निर्देश दिये थे लेकिन जब मुख्य सचिव और आयुक्त नगर निगम ने इस पर उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर किया तो उस पर अदालत की यह टिप्पणी आयी है We notice the affidavit of the chief Secretary, Government of Himachal Pradesh and the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla to be conspicuously silent of the action taken against such of those persons

whose acts of omission and commission led to the situation of crisis. we are assured that appropriate action in this regard shall positively be taken before the next date of hearing.

इसी तरह आईजीएमसी शिमला में पार्किंग की समस्या को लेकर आयी एक जनहित याचिका की सुनवाई में भी उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी आयी है Despite repeated opportunities, no reply has been filed on behalf of respondents No.1 to 3 and 5. Respondent No.4, Municipal Corporation, Shimla has filed its reply. This Court in many other petitions repeatedly cautioned respondent-State with regard to manifold increase in traffic in Shimla town, where admittedly roads are congested and there is very little scope of

expansion. Recently, this Court in CWPIL No. 19 of 2016 titled Court on its own motion versus State of Himachal Pradesh and others, taking note of affidavit having been filed by Deputy Commissioner, Shimla had directed the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh to set up a Committee to look into parking and traffic problem in Shimla town, but it appears that none in the helm of affairs is actually bothered about problem of traffic/parking

शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी को लेकर आयी एक याचिका में उच्च न्यायालय ने विभाग के शपथ पत्र पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सचिव शिक्षा को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में हाज़िर रहने को आदेश किये हैं। ऐसे ही कई और मामलों में उच्च न्यायालय

प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा चुका है।

उच्च न्यायालय की शीर्ष प्रशासन को लेकर आयी ऐसी टिप्पणीयों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन और प्रशासन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जब प्रदेश का उच्च न्यायालय शीर्ष प्रशासन को लेकर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो इससे प्रदेश की जनता में सरकार को लेकर क्या संदेश जायेगा। उच्च न्यायालय की इन टिप्पणीयों से हटकर भी यदि सरकार का आकलन किया जाये तो यह सामने आता है कि अब तक प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं बन पायी है। क्योंकि एक ओर तो सरकार राजस्व को पहुंचे नुकसान के कारणों की जांच करवाने की बात कर रही है और दूसरी ओर कर्ज लेकर घी पीने की कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन को उनकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद जिस तर्क पर स्टडी लीव दी गयी है वह अपने में ही एक घोटाला बन गया है। राज्य के राजस्व को कहां और कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है यह एक जनचर्चा बन चुका है। विभिन्न

निगमों/बोर्डों में कार्यकर्ताओं की ताजपोशीयां रूकी हुई हैं जबकि कई जगह ऐसा कर दिया गया है कि जिन्हे कांग्रेस ने ताजपोशी दी थी उन्हे इस सरकार ने भी ताजपोशी दे दी है। कार्यकर्ताओं में एक अधिकारी की पत्नी को समाज कल्याण बोर्ड में दी गयी तैनाती पर रोष देखने को मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के वीरभद्र शासन में भी इन्हे यह ताजपोशी मिली हुई थी। उच्च न्यायालय सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर आये दिन कोई न कोई टिप्पणी कर रहा है। जिससे यह संदेश जा रहा है कि शायद सरकार के महाधिवक्ता और उनकी टीम उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। रिटायर्ड लोगों को फिर से नौकरी में वापिस बुलाया जा रहा है जबकि वीरभद्र सरकार को इसके लिये हररोज कोसा जाता था। जब सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर इस तरह की चर्चाएं लगातार बाहर आती जायेंगी तो निश्चित रूप से प्रशासन और जनता में शीर्ष नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठेंगे ही। शायद यही अन्तर की ऊहा-पोह मुख्यमंत्री के इस ब्यान में अनायास ही बाहर आ गयी है।

पांच माह में ओक ओवर से सचिवालय नहीं पहुंचा मांग पत्र

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पूर्व कर्मचारी नेता ओम प्रकाश गोयल ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में 18 फरवरी को एक करीब 190 पेज का प्रतिवेदन सौंपा था। इस प्रतिवेदन में गोयल ने उस सबका देस्तावेजी प्रमाणों के साथ खुलासा किया था जो उनके साथ पर्यटन विकास निगम में पेश आया था जब उन्होंने निगम में फ़ैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का ईनाम उन्हें नौकरी से बर्खास्तगी के रूप में मिला जबकि हर सरकार भ्रष्टाचार करती सहन नहीं किया के दावे करती आयी है। यही नहीं भाजपा ने जब 6.3.2007 को महामहिम राज्यपाल को तत्कालीन वीरभद्र सरकार के खिलाफ आरोप पत्र सौंपा था तब जयराम ठाकुर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस आरोप पत्र में वीरभद्र सरकार पर एक आरोप कर्मचारियों के उत्पीड़न का था और इस उत्पीड़न में वाकायदा ओम प्रकाश गोयल का नाम शामिल था। आरोप पत्र प्रेम कुमार धूमल और

जयराम ठाकुर के हस्ताक्षरों से सौंपा गया था। लेकिन जब धूमल सरकार सत्ता में आयी तो तब गोयल को इन्साफ नहीं मिल पाया। इसके बाद वीरभद्र सरकार सत्ता में आयी। इस सरकार ने गोयल के आरोपों की जांच के लिये पर्यटन निगम के एक निदेशक धर्माणी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। धर्माणी कमेटी ने गोयल के लगाये आरोपों को एकदम सही पाया और न्याय दिये जाने को संस्तुति की। लेकिन इतना होने के बावजूद वीरभद्र काल में गोयल को न्याय नहीं मिल पाया।

अब जब जयराम की सरकार आयी तब 18 फरवरी को गोयल ने मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में फिर मुख्यमंत्री को न्याय की गुहार लगाते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री जयराम ने उन्हे पूरा आश्वासन दिया कि उनको इन्साफ मिलेगा। गोयल ने मुख्यमंत्री के साथ ही इस प्रतिवेदन की प्रतियां महामहिम राज्यपाल, शिमला के विधायक एवम् शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और प्रदेश के मुख्य सचिव को

भी सौंपी। इसके बाद जब 8.3.2018 को आरटीआई के तहत गोयल ने अपने इस प्रतिवेदन पर अब तक हुई कारवाई के बारे में जानकारी मांगी तब विशेष सचिव पर्यटन के कार्यालय से उन्हे जवाब मिला कि उनके प्रतिवेदन को लेकर राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव के कार्यालयों से तो पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जानकारी मांगी और वहां से भी जवाब आया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका कोई पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ है।

आरटीआई में मिली इस सूचना के बाद फिर गोयल ने मुख्यमंत्री के आवास पर दस्तक दी। इस बार बड़ी प्रतीक्षा के बाद मुख्यमंत्री को मिल पाये। लेकिन

मिलने पर इनका कोई जवाब नहीं मिल पाया कि उनके प्रतिवेदन का हुआ क्या है। इस बार भी उन्हे केवल आश्वासन ही मिला है कि वह उनकी फाइल मंगवायेगी। इस सबसे यह सवाल उठता है कि जब मुख्यमंत्री के आवास पर दिया गया प्रतिवेदन ही पांच माह में आवास से कार्यालय तक न पहुंच पाये और न ही संबद्ध विभाग में

Prakash Goel,
B.Com, LL.B and DPM & IR,
Ex-Senior Accountant, HPTDC,
Shimla - 2

To
1. Dr. Dev Vrat Acharya,
Hon'ble Chief Minister of H.P.,
Himachal Pradesh, Shimla - 2
2. Shri. Jai Ram Thakur,
Hon'ble Minister of H.P.,
Himachal Pradesh, Shimla - 2
3. Shri. Gurnesh Bhargava,
Hon'ble Law Minister, HP,
Shimla - 2
4. Shri. Vinod Chawdhary,
Chief Secretary,
Himachal Pradesh, Shimla - 2

Sub:
Appeal / Review the Vol. illegal, arbitrary, unconstitutional decisions dated 30.8.2013, 15th July, 2014 and NON-SENSE decision dated 29th March, 2015 and 2nd appeal dated 12th July, 2015 against my order, illegal, unconstitutional and malafide dismissal from service dated 23.1.2007 passed by Shri. T.N. Shrivastava, then M.O. HPTDC, Shimla - 2 and set aside the said order dated 23.1.2007 and 22.2.2008 & 12.2.2011 and set aside the said order dated 23.1.2007 and reinstate the services of the appellant with all consequential benefits.

Sh. Vinod Chawdhary

शेष पृष्ठ 7 पर...

भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रोबेशनर्स ने की राज्यपाल से मुलाकात

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आप सभी नौजवान हैं और खुश किस्मत हैं, क्योंकि देश की सेवा करने का अवसर मिला है। अपनी प्रतिभा से दूसरों के लिए प्रेरणा स्तोत्र बनने तथा समाज व राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। युवा अधिकारियों के माध्यम से कार्य



बातचीत के दौरान राज्यपाल ने उम्मीद जताई की नौजवान लड़कों और लड़कियों का प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में आने से शासन व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि अपने कार्य के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल उनका अपना भविष्य, बल्कि देश का भविष्य भी प्रभावित होगा।

संस्कृति प्रभावी होगी। अपनी सेवा के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाएं।

राज्यपाल ने आईएएस परीक्षार्थी अधिकारियों को पर्यटन, जल संग्रहण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी।

आचार्य देवव्रत ने उनके सफल भविष्य, बल्कि देश का भविष्य भी प्रभावित होगा।

छात्राओं के लिए स्थापित होंगे पाँच मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में लड़कियों के कल्याण व उत्थान के लिए शीघ्र बोर्ड गठित करेगी ताकि प्रदेश की बेटियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में श्रेष्ठ बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे जिनमें से पाँच विद्यालय केवल लड़कियों के लिए होंगे। मुख्यमंत्री मानवी संस्था द्वारा आयोजित 'बेटियों को सम्मान' समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी समाज में बेटे के जन्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन बेटियों के जन्म पर उत्साहीनता देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ सामाजिक बुराईयों व पुराने मिथ्यों के कारण है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के प्रयासों तथा लोक जागरूकता के कारण लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि हम सभी सुदृढ़ व प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं

के कल्याण व उत्थान के लिए मिलजुल कर कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि महिला सशक्तिकरण व बालिका को समान अधिकार के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा व उत्थान के लिए गुड़िया हैल्पलाइन तथा शक्ति एम्प आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही अर्थों में महिला उत्थान व स्वच्छता अभियान पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह दोनों ही मामले उनके प्रिय हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 24 लड़कियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार जीतने वाली बेटियों के उज्ज्वल व खुशहाल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से पुरस्कार प्राप्त करने वाली 24 लड़कियों को 21 हजार रुपये देने की भी घोषणा की।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में पूर्व में भी रही भाजपा की सरकारों ने महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए हमेशा ही

सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज केन्द्र में रक्षा एवं विदेश मंत्रालय की मुस्तिया महिला है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार की देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति व सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है, परन्तु दुर्भाग्य से अनेक सामाजिक बुराईयों के कारण इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए मिल-जुल का कार्य करना चाहिए ताकि महिलाओं को विकास व प्रगति के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण व उत्थान के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि लड़कियाँ आज हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, परन्तु लिंगानुपात में गिरावट निम्ना का विषय है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं को आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र फड़के ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वरोजगार व अन्य क्षेत्रों के लिए 147 कल्याणकारी योजनाएँ आरम्भ की हैं। उन्होंने सामाजिक संगठनों व गैर सरकारी संगठनों से कन्या भूषण हत्या व लिंग परीक्षण जांच जैसी सामाजिक बुराईयों पर नजर रखने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

राज्यसभा की पूर्व सांसद विमला कश्यप ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर स्थानीय की विभिन्न गतिविधियों बारे जानकारी दी।

निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी स्वास्थ्य उप-केन्द्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्रों में परिवर्तित कर स्वास्थ्य कार्यक्रम 'आयुष्मान भारत' को कार्यान्वित करेगी। इसके अन्तर्गत निर्धन लोगों को पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा छत्र प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवा को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार, हैलीमिशन फाउंडेशन स्विट्जरलैंड तथा लेडी विलिंटन अस्पताल मनाली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड हैलीमिशन फाउंडेशन का प्रदेश में लेडी विलिंटन अस्पताल मनाली के साथ निःशुल्क हवाई एम्बुलेंस सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस हवाई एम्बुलेंस सेवा से पूरे प्रदेश के मरीजों को नजदीक के स्वास्थ्य संस्थान के लिए लिफ्ट किया जा सकेगा और यह 108 एम्बुलेंस सेवा के निकट समन्वय के साथ क्रियाशील होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी आवश्यक अधीनस्थ उपलब्ध करवाएगी जिनमें मानव संसाधनों के लिये आवासीय स्थान, लेफ्टिंग व हैलिकॉप्टर का रख-रखाव इत्यादि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार

राज्य के लोगों को उनके घरद्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य उपचार सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2302 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है, जो गत वर्ष के बजट से 582 करोड़ रुपये अधिक है।

हैलीमिशन फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अन्तर्राष्ट्रीय निदेशक सोमन टैन्नेर ने कहा कि फाउंडेशन इस क्षेत्र में गत 47 वर्षों से कार्य कर रही है।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-PROCUREMENT NOTICE NOT FOR PUBLISHED
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Barsar Division H.P on behalf of Governor of H.P invited/re-invited the item rate bids, in electronic tendering system, for each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HPPWD:-

Name of work :- 1.- C/o 1 No.Type-1 Qtrs. At Degree Collage Bhoranj(SH)- building portion including WS and S.I) Estimated Cost Rs. 9,48,204/- Earnest Money Rs. 19,000/- Time limit six month cost of Form Rs. 350/-

2. Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 10.07.2018 from 10.30 A.M.

3. Cost of Bid Form:-Rs. 350/- (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer HPPWD Barsar.

4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website <http://hptenders.gov.in> bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: <http://hptenders.gov.in> Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

5. Submission of Original Documents: The bidder are required to submit (i) Original demand draft towards the cost of bid document and (ii) Original earnest money in the approved from duly pledged in the name of Executive Engineer, Barsar Division, H.P.W.D., Barsar. (iii) All required Affidavit in original duly attested by Executive Magistrate/Notary. The above documents shall be submitted by the contractor on the date of opening of the bid failing which tender will not be opened.

6. Last Date/Time for receipt of bids through e-tendering :- 18.07.2018 upto 10.30 A.M

7. The site for the work is available.

8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website <http://hptenders.gov.in>. The bids shall be opened on 18.07.2018 at 11.30 A.M. in the office Executive Engineer Barsar Division H.P.P.W.D., Barsar (H.P.) by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than One hundred twenty days after the deadline date for bid submission.

10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-1071/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT 'NOTICE INVITING TENDERS'

Scaled item rate tenders on form 68/8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division HPPWD, Palampur on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before 16.07.2018 up to 11.00 A.M. And the same shall be opened on the same day at 11.30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on 13.07.2018 up to 4.00 P.M. and the application for issue of tender form shall be received on 12.07.2018 up to 12.00 noon.

The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/ incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost (In Rs.)	Earnest Money	Time limit	Cost of Tender form
1.	C/O Link road from Durga Mandir Pathar to Harizan Basti (SW:-C. C Pavement work at RD 2/350 to 2/373)	4,71,948/-	9500/-	Two Months	350/-
2.	C/O Link road from Durga Mandir Pathar to Harizan Basti (SW:- C/O R/Wall at RD. 2/350 to 2/375)	4,92,425/-	9900/-	Two Months	350/-
3.	C/O Parour Lahla Chachian road (SW:-C/O R/Wall at km 5/ 200 to 5/230)	2,65,188/-	5400/-	Two Months	350/-
4.	C/O Rit to Jamrara via Jamrara Badhala Khota Kasba Kotlu Barla road Km. 0/00 to 8/00. (SW:- C/O 2.00 Mtr. span culvert at Rd. 0/005).	3,92,906/-	7900/-	Four Months	350/-
5.	C/O Lahat Kunhera Ladhi road Km. 0/00 to 5/000. (SW:- P/L C. C Pavement at Rd. 0/600 to 0/675).	252118/-	5100/-	Two Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.

1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M. positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years.
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-1071/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

हिमाचल प्रदेश के लिए 1900 करोड़ की 'मेरे स्कूल से निकले मोती' पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना स्वीकृत शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग ने एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित लगभग 1900 करोड़ रुपये की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इससे हिमाचल प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नई परियोजना से हम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनछुए पर्यटन गंतव्यों को विकसित करने और शहरों में अधोसंरचना स्तरोन्नत करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकेगे।

इससे पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह ने आर्थिक मामले विभाग में इस परियोजना पर प्रस्तुति दी

और बताया कि यह परियोजना आठ वर्षों की अवधि में पूरी होगी। परियोजना के अंतर्गत पर्यटन अधोसंरचना विकसित कर, ग्रामीण, साहसिक व ईको पर्यटन के क्षेत्रों में आजीविका व रोजगार के अवसर सृजित कर नए व ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विविधिकरण पर बल दिया जाएगा। इसी प्रकार, जलापूर्ति, मल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा कौशल उन्नयन, विज्ञापन व विपणन इत्यादि जैसी सेवाओं को शुरू करने तथा समुदाय आधारित पर्यटन गतिविधियों के लिये प्रोत्साहन आधारित तंत्र जैसे अभिनव मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना सैलानियों की सन्तुष्टि बढ़ाएगी तथा राज्य में बार-बार आने को प्रोत्साहित करेगी। यह हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन का सबसे बेहतर आदर्श होगा।

परियोजना में कठोर एवं लचीले दोनों संघटक होंगे तथा शहरों का सौन्दर्यीकरण, अनछुए क्षेत्रों का

विकास, स्मारक भवनों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, साहसिक अधोसंरचना का विकास, समुदायिक सहभागिता से ईको ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा और रोजगार सृजन गतिविधियों का समावेश होगा। परियोजना के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये पर्यटन व संबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह परियोजना राज्य के 12 जिलों में 324 स्थलों का अध्ययन तथा 90,000 सैलानियों को सुझाव प्राप्त कर विस्तृत बेसलाइन डाटा तथा हिमालयी राज्यों के लिए दीर्घकालिक पर्यटन के आधार पर तैयार की गई है।

भारत सरकार के केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए परियोजना को प्रोत्साहन दिया है।

आर्थिक मामले विभाग प्रदेश में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 600 करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य व प्रगति से संतुष्ट है।

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में शिक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों का मानदेय 1 अप्रैल, 2018 से 1900 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने डॉ. राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में वैधानिक सत्र 2018-19 से 100 विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की। इससे 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के प्रदेश में छः मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गए हैं।

मंत्रिमण्डल ने मेरिट आधार पर प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से एनआरआई सीटों के कोटे को सीमित करने का फैसला लिया। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत खण्ड स्तर पर लेखाकार एवं सहायक स्टॉफ के 100 पद तथा

डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय पाठशालाओं से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने जीवन में पहचान बनाई है, को सम्मान प्रदान करने के लिए 'स्वर्णिम हिमाचल



दृष्टि पत्र' के अनुरूप 'अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती' शुरू करने के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थियों का नाम सम्बन्धित पाठशाला के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में अंकित किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने अन्य राज्यों से कान्ट्रेक्ट करिएज के शुल्क ढाँचे के युक्तिकरण के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1999 के नियम-69ए में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार पर हो कड़ी कार्रवाई:डॉ.किरिट

शिमला/शैल। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में अपने अध्ययन दौरे के दौरान मुख्य सचिव तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता संसदीय समिति के अध्यक्ष डा. किरिट पी. सोलंकी ने की। समिति

जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में इन वर्गों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया। मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने इस अवसर कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं व कार्यक्रम प्रभावी रूप

तक कि दो बच्चों के लिये भी स्कूल और अध्यापक उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजाए आवासीय सुविधा प्रदान करने के गांव के समीप स्कूल खोले हैं ताकि बच्चे अपने अभिभावकों के संरक्षण में रह सकें। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला लाहौल-स्पिति तथा चम्बा के पांगी में लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिये निःशुल्क टैलीमेडिसिन सुविधा प्रदान की गई है और जल्द ही यह सुविधा राज्य के 20 और स्थानों में प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 से 25 हजार लोगों पर स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 80000 लोगों पर है। उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह के लिये 50000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में निर्धारित आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।



के अन्य सदस्यों में डा. रामचरित निशाद, डा. पी.के. बीजू, अन्सु बाबा, राम कुमार वर्मा, डी. आर. शेखर, शमशेर सिंह दुलो, प्रो. सीताराम अम्जरीया नायक, प्रतिभा मण्डल, मुकेश कुमार तथा एल. सिंगसन भी बैठक में मौजूद रहे।

डा. किरिट पी. सोलंकी ने हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तुलना पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कही और इन लोगों के साथ अत्याचारों के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि देशभर में अत्याचार होते हैं, लेकिन इनकी सही रिपोर्टिंग नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि मामले रफा-दफा नहीं किए जाने चाहिए और न ही किसी प्रकार के दबाव के चलते इनमें समझौता किया जाना चाहिए और शीघ्र न्याय के लिये फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति निजी अधिवक्ता की सेवाएं भी ले सकते हैं।

उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिये धन का उपयुक्त आवंटन किया जाना चाहिए और पूरी राशि को इनके कल्याण के लिये खर्च किया

से कार्यान्वित किए हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 25.19 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.88 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राज्य बजट का 25.19 प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के लिये 1586.97 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इसी प्रकार, जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत 2017-18 के दौरान 65 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

मुख्य सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि प्रदेश में राज्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से इन वर्गों के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें स्वरोजगार योजना, हिमस्वावलंबन योजना, शिक्षा ऋण योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, हस्तशिल्प योजना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा 810 लाभार्थियों को 374.54 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय जिलों में यहां

राज्य सरकार सक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिये समर्पित:सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सेजल ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति समाज का अभिन्न हिस्सा है और समाज



के विकास में उनका बहुत योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन लोगों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

विकलांगता पहचान पत्र ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता

जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की जाती है, को विभाग द्वारा जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से कंप्यूटरीकृत विकलांगता पहचान पत्र जारी किया जा रहे हैं जिसके आधार पर विकलांग व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित विकलांगों के कल्याणार्थ योजनाओं का लाभ उठाने के लिये पात्र बन जाते हैं। 31.03.2018 तक विभाग द्वारा 89327 पहचान पत्र जारी किए गये हैं।

छात्रवृत्ति: विशेष रूप से सक्षम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने व वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसे विकलांग छात्र जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो को बिना किसी आय सीमा के 650 रुपये से लेकर 3750 रुपये प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। स्वरोजगार सहायता: 40 प्रतिशत

योगदान के लिए प्रयासों की पहचान करना है। पुरस्कार के लिए आवेदक य. एस. क्लब शिमला के समीप पर्यावरण भवन स्थित पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 17 जून, 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पहला पुरस्कार 50000 रुपये तथा एक ट्रॉफी और प्रमाणपत्र जबकि दूसरा पुरस्कार 25000 रुपये के साथ ट्रॉफी और प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विज्ञापन तथा पुरस्कार के लिए आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.desthp.nic.in पर उपलब्ध है।

या इस से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक इकाइयां जैसे की चाय, दर्जी, छोटी वाहन, ब्यूटी पालर इत्यादि की दुकान के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिस पर विभाग द्वारा 10000 रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत का उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण - चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकलांगजन को चयनित व्यवसायों में निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके लिये प्रशिक्षार्थी को 1000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। विवाह अनुदान - स्वेच्छा से विकलांग लड़के अथवा लड़की से विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपये व 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष योग्यता वाले बच्चों की शिक्षा का भी सरकार समुचित प्रबंध कर रही है।

शत्रु द्वारा किया गया स्नेहिल व्यवहार भी दोषयुक्त समझना चाहिए!.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या अप्रसांगिक हो रही है आईएस व्यवस्था



भारत सरकार ने पैटोलियम, वित्त, आर्थिक मामले कृषि और स्टील आदि कुछ मन्त्रालयों में संयुक्त सचिवों के पद भरने के लिये निजिक्लेव में काम कर रहे लोगों से आवेदन मांगे हैं। यह पद तीन वर्ष के अनुबन्ध पर भरे जायेंगे और अनुबन्ध की अवधि दो वर्ष बढ़ाई जा सकती है। निजिक्लेव से अनुभवी लोगों को पहले भी ऐसी एक-आध नियुक्तियाँ दी जाती रही हैं। बल्कि भारत सरकार में सचिव स्तर तक ऐसे लोग

सेवाए दे चुके हैं। पैटोलियम और वित्त मन्त्रालयों में निजिक्लेव से आये लोग सचिव रह चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जब भी लाया गया तो उन्हें स्थायी नियुक्तियाँ दी गयी थी। अनुबन्ध के आधार पर ऐसी नियुक्तियों का प्रयोग पहली बार हो रहा है। इन लोगों का चयन संघ लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी। एक साथ दस लोगों को विभिन्न मन्त्रालयों में संयुक्त सचिव के पद पर तीन वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्ति किये जाने से स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या सरकार देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में कोई नियोजित प्रयोग करने जा रही है। यदि यह प्रयोग सरकार के अधोषिक्त लक्ष्यों की पूर्ति के मानदण्ड पर सफल रहता है तो क्या आईएस की जगह कोई नयी प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल सरकार के इस फैसले के बाद उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि इस फैसले से पहले यह भी एक फेसला चर्चा में रहा है कि अब आईएस को लोकसेवा आयोग के चयन पर ही राज्यो का आबंटन नहीं हो जायेगा बल्कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जो परिणाम रहेगा उसके आधार पर आवंटन किया जायेगा।

सरकार को इन फैसलों से पहली चीज तो यह उभरती है कि सरकार आईएस की मौजूदा व्यवस्था को उपयोगी नहीं मान रही है। इसके विकल्प के रूप में कुछ नया लाना चाहती है। इस समय जो लोग इन पदों पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त होंगे वह निश्चित तौर पर किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या किसी बड़े औद्योगिक घराने में अपनी सेवाएँ दे रहे होंगे। क्योंकि इन पदों के लिये योग्यता की शर्त यही है कि वह इसके लिये अपने को Talented मानते हों। आईएस बनने के लिये शैक्षणिक योग्यता आज भी स्नातक ही है चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो। आईएस हो जाने के बाद सोलह वर्ष के कार्यकाल के बाद संयुक्त सचिव बन जाता है लेकिन निजिक्लेव से आने वाले का न्यूनतम अनुभव कितने वर्ष का होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसका आकलन यह चयन कमेटी ही करेगी। आईएस एक प्रशासनिक सेवा है उसका प्रशिक्षण प्रशासन चलाने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रशासन में सबसे निचले कर्मचारी से लेकर शीर्ष अधिकारी तक सबके दायरे अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह परिभाषित हैं। हम एक वेल्फेयर स्टेट हैं जहाँ हर कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सबसे लोक कल्याण के हित में काम करना अपेक्षित रहता है। इसमें Public interest ' ' सर्वोपरि रहता है। इसीलिये सरकार में हर अधिकारी /कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति उसे सेवा की सुरक्षा मिली हुई है।

इसके विपरीत निजिक्लेव में यह नहीं है कि उसके अधिकारी /कर्मचारी को एक निश्चित अवधि तक सेवाकाल की सुरक्षा नहीं है। निजिक्लेव में वेल्फेयर स्टेट की अवधारणा भी लागू नहीं होती है। वहाँ तो नौकर को मालिक वेल्फेयर की पूर्ति करनी है। उसे मालिक को अधिक से अधिक लाभ कमाकर देना है। निजिक्लेव लाभ की अवधारणा पर चलता है जबकि सरकार वेल्फेयर की। सबका हित - सबका कल्याण, सबका विकास यह वेल्फेयर स्टेट के मूल उद्देश्य हैं। इसमें लाभ से पहले कल्याण रहता है लेकिन निजिक्लेव में यह कल्याण और लाभ एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक औद्योगिक घराने तक ही सीमित रहता है। ऐसे में जिस व्यक्ति को तीन या पांच वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त किया जायेगा उसे प्रशासन की सारी बारिकियाँ समझने में समय लगेगा। बल्कि वह तो जिस भी संस्थान से पूर्व में जुड़ा रहा होगा उसी कार्य संस्कृति से प्रभावित रहेगा और उसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा। संयुक्त सचिव कृषि के पद पर बैठकर वह किसान के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करवाने में नीति के स्तर पर क्या योगदान दे पायेगा। वह किसान का कर्ज माफ़ किये जाने की वकालत कैसे कर पायेगा वित्त और आर्थिक मामलों का संयुक्त सचिव क्या एनपीए की व्यवस्था को समाप्त करने की राय दे पायेगा। क्या वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों से विपरीत जा पायेगा। यदि कोई अंबानी - आदानी औद्योगिक घरानों से जुड़ा व्यक्ति पैटोलियम या रक्षा उत्पादन में संयुक्त सचिव हो जाता है तो क्या वह पैटोलियम को जीएसटी के दायरे में लाने की वकालत करेगा। रक्षा उत्पादन में क्या वह शफेल डील पर सवाल उठा पायेगा? इसलिये सरकार को यह प्रयोग करने से पहले इसके निहित उद्देश्यों की जानकारी जनता के सामने रखनी होगी।

यदि सरकार को लगता है कि आईएस व्यवस्था अप्रसांगिक होती जा रही है और उसे हर मन्त्रालय में विषय विशेषज्ञ चाहिये तो उसे आईएस व्यवस्था में अलग से सुधार करने चाहिये। जिन क्षेत्रों में विशेषज्ञ चाहिये उनके लिये आईएस में ही पोस्टल, राजस्व और आडिट की तर्ज पर अलग सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये शैक्षणिक योग्यताएँ भी स्नातक से बढ़ाकर विषय विशेषज्ञता की तय करनी होंगी, अन्यथा जो प्रयोग अब किया जाने लगा है उससे यही संदेश जायेगा कि सरकार संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को कुछ प्रमुख पदों पर बैठाने की जुगाड़ भिड़ा रही है।

बहुत कुछ बता गए जाते जाते

लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो वो अपनी जीवन लीला भले ही समाप्त कर लेता है लेकिन जाते जाते कई सवालों को जन्म दे जाता है।

लेकिन साथ ही कई उत्तर भी दे जाता है समाज को, जैसे कि अपने ईश्वर को किसी अन्य इंसान में मत ढूँढो क्योंकि ईश्वर तो एक ही है जो हम सबके भीतर ही है।

“डॉ नीलम महेन्द्र”

भैरूजी महाराज जैसा व्यक्ति जिसे राष्ट्र संत की उपाधि दी गई हो, जिसके पास देश भर में लाखों अनुयायीयों की भीड़ हो, इस भीड़ में आम लोगों से लेकर खास शख्सियतों भी शामिल हों, इन शख्सियतों में केवल फिल्म जगत या व्यापार जगत ही नहीं सरकार बनाने वाले राजनैतिक दल से लेकर विपक्षी दलों तक के नेता शामिल हों, इससे अधिक क्या कहा जाए कि इनसे सम्पर्क रखने वाली शख्सियतों में देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हों, लेकिन वो खुद संतों की सूची में अपनी सबसे जुदा शख्सियत रखता था।

जी हाँ भैरूजी महाराज, वो शख्स, जो आध्यात्म और संतों की एक नई परिभाषा गढ़ने निकला था,

कदाचित इसीलिए वो खुद को एक गृहस्थ भी और एक संत भी कहने की हिम्मत रखता था,

शायद इसीलिए वो मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से परहेज नहीं करता था,

और रोलेक्स जैसी घड़ियों के लिए अपने प्रेम को छुपाता भी नहीं था,

क्योंकि उसकी परिभाषा में आध्यात्म की राह कर्म से विमुक्त होकर अर्थों सन्प्राप्त से नहीं अपितु कर्मयोगी बनकर यानी कर्म से होकर निकलती थी,

शायद इसीलिए जब इस शख्स से उसके आध्यात्मिक कार्यों की बात की जाती थी तो वो अपने सामाजिक कार्यों की बात करता था।

वो ईश्वर को प्रकृति में, प्रकृति को जीवन में और जीवन को पेड़ों में देखता था।

शायद इसीलिए उसने लगभग 18 लाख पेड़ लगवाने का श्रेय अपने नाम किया।

शायद इसीलिए वो अपने हर शिष्य से गुरु दक्षिणा में एक पेड़ लगवाता था, शायद इसीलिए वो ईश्वर को जीवन दायिनी जल में देखता था।

शायद इसीलिए वो अपने आध्यात्म की प्यास जगहों जगहों 'अने को' तालाब खुदवाकर बुझाता था।

वो ईश्वर को इंसानों में

देखने की कोशिश करता था शायद इसीलिए उसने महाराष्ट्र के पंढरपुर में रहने वाली वेश्याओं के 51 बच्चों को पिता के रूप में अपना नाम दिया था

शायद आध्यात्म उसके लिए वो बन्धन नहीं था जो उसे सांसारिक गतिविधियों से दूर करे बल्कि ये वो शक्ति थी जो उसे जिंदगी जी भर के जीने की आजादी देती थी, शायद इसीलिए वो घुड़सवारी भी करता था तलवारबाजी भी करता था, मॉडलिंग भी करता था और एक गृहस्थ संत बनकर देश भर में अपने लाखों अनुयायी भी बना लेता था।



वो सबसे पहले चर्चा में तब आता है जब अन्ना हजारे का अनशन खत्म करने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार उन्हें अपना दूत बनाकर भेजती है और अन्ना उनके हाथों से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त करते हैं।

प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सदभावना उपवास पर बैठते हैं तो उनका उपवास खुलवाने के लिए इन्हें ही आमंत्रित किया जाता है।

वो उस मुकाम को हासिल करता है जब मध्य प्रदेश सरकार उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान करती है, हालांकि वो उसे ठुकराने का जज्बा भी रखता था।

लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो वो अपनी जीवन लीला भले ही समाप्त कर लेता है लेकिन जाते जाते कई सवालों को जन्म दे जाता है।

लेकिन साथ ही कई उत्तर भी दे जाता है समाज को जैसे कि अपने ईश्वर को किसी अन्य इंसान में मत ढूँढो क्योंकि ईश्वर तो एक ही है जो हम सबके भीतर ही है।

वो लोगों को यह संदेश दे

जाता है कि दूसरों को शांति का संदेश देने वाला खुद भीतर से अशांत भी हो सकता है।

वो यह जतला जाता है कि दुनिया पर विजय पाने वाला कैसे अपने से ही हार जाता है।

अपने इस कदम से वह यह सोचने को मजबूर कर जाता है कि वर्तमान समाज में जिन्हें लोग संत मानकर, उन्हें ईश्वर के करीब जानकर उन पर ईश्वर तुल्य श्रद्धा रखते हैं क्या वे वाकई ईश्वर के करीब होते हैं?

वे यह जता जाते हैं कि जो लोग एक ऐसे व्यक्ति के पास अपनी उलझनों को जवाब तलाशते चले आते हैं क्या वे इस बात को समझ पाते हैं कि कुछ उलझनें उसकी भी होती होंगी, जिनके उत्तर वो किससे पूछे खुद उसको भी नहीं पता होता।

हाँ यह बात सही है कि ऐसे व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं लेकिन यह भी तो सच है कि आखिर ये इंसान ही होते हैं।

हाँ ये बात सही है कि इनमें एक आम आदमी से ज्यादा गुण होते हैं लेकिन यह भी तो सच है कि कमजोरियाँ इनकी भी होती हैं।

लेकिन फिर भी ये समाज में अपने लिये एक खास स्थान बनाने में इसलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि अपनी कमजोरियों को ये अपनी प्रतिभा से छुपा लेते हैं और अपने अनुयायियों की संख्या को अपनी ताकत बनाने में कामयाब हो जाते हैं।

चूँकि हमारे देश के राजनैतिक दल इनकी इस ताकत को अपने वोटों में बदलना जानते हैं।

क्या इस तथ्य को नकारा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की लोकप्रियता बढ़ाने में राजनैतिक दलों का योगदान नहीं होता?

क्या अपनी लोकप्रियता के लिए ऐसे "संत" और वोटों के लिए हमारे राजनेता एक दूसरे के पूरक नहीं बन जाते?

नेताओं और संतों की यह जुगलबंदी हमारे समाज को क्या संदेश देती है?

इन समीकरणों के साथ भले ही धर्म का उपयोग करके राजनीति जीत जाती हो लेकिन नैतिकता हार जाती है।

तारीखों में दर्ज हुई किम-ट्रंप मुलाकात

ट्रंप और किम की शिखर बैठक ने उत्तर कोरिया को यह मौका दे दिया कि वह अपना परमाणु कार्य स्वतंत्र रूप से अपने देश को गरीबी और बदहाली से उबारें। ट्रंप ने भी इसकी सुरक्षा की गारंटी की बात कह दी है परन्तु उस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रोचक यह भी है कि किम और ट्रंप जो एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे थे साथ ही शब्दों के बाण और धमकियां जहां दोनों ओर से अनवरत जारी थीं वहीं सिंगापुर में दोनों गहरी सूझबूझ दिखा रहे थे।

वास्तव में रूस और चीन जैसे देश को छोड़ दिया जाये तो पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया का कोई बड़ा हितेपी नजर नहीं आता। इस परिस्थिति में ट्रिप्टि गड़ा के देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात ने उत्तर कोरिया को यह अवसर दे दिया है कि वह न केवल अपना निर्वासन स्वतंत्र करे बल्कि अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी से जुड़ने के अवसर का लाभ भी उठाये। बरसों की तनतानी मात्र एक मुलाकात से दुनिया के लिये राहत की सांस बन जायेगी ऐसी अवधारणा इतिहास में शायद ही हो। डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के किम जोंग ने सिंगापुर में जो किया वह विश्व इतिहास के पन्ने पर आम इतिहास तो नहीं कड़ा जायेगा। इसी वार्ता ने दोनों देशों के 68 बरस की शत्रुता का अंत कर दिया। गौरतलब है 1950 से 1953 के उत्तर व दक्षिण कोरियाई युद्ध के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली मुलाकात थी। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर स्थित कैपिला होटल में 50 मिनट की ऐतिहासिक शिखर वार्ता जिस राह को अख्तियार किया वह कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध के आगाज का भी अन्त कहा जा सकता है। खास यह भी है कि आइजन होवर (1953) से लेकर बराक ओबामा (2016) तक 11 राष्ट्रपतियों ने उत्तर कोरिया से सम्बंध सुधारने की कोशिश की लेकिन सफलता डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आई।

कई अवसर ऐसे भी देखे जाये जब मनोवैज्ञानिक संतुलन के लिये ट्रंप ने किम के बाह और पीठ पर हाथ रखा, एक बार किम ने भी ऐसा किया। ट्रंप के हावभाव ने यह भी एहसास कराया कि अमेरिका ताकत वाला देश है।

71 वर्षीय ट्रंप और 34 वर्षीय किम के बीच वाकई में अच्छी कैमिस्ट्री देखने को मिली। उत्तर कोरिया में कम उम्र के लोगों को बड़ों से पहले स्थल पर पहुंचना होता है इसका निर्वहन करते हुए किम 7 मिनट पहले से वहां उपलब्ध थे। चन्द माह पहले दोनों देश शत्रुता के चरम बिन्दु पर थे और युद्ध के कगार पर पहुंच गये थे अब उनके बीच शान्ति का पर्व वाकई अद्भुत है। अमेरिका की आंखों में चुभने वाला किम अब ट्रंप के लिये प्रतिभाशाली हो गया है और ब्लाइट हाउस में बुलाने लायक भी। दरअसल वैश्विक फलक पर कूटनीति सीधे राह पर नहीं चलती बल्कि यह अपना टेढ़ा-मेढ़ा स्वरूप भी अख्तियार करती है। उत्तर कोरिया भले ही राह से भटक कर साल 2006 से लेकर अब तक 6 परमाणु परीक्षण समेत कई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया के लिये किरकिरी बना हो पर अमेरिका से सम्बंध जुड़ने के बाद सभी इसके घातक सिद्धांत से कमोबेश मुक्त महसूस कर रहे होंगे।

इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण कोरिया और जापान खुश होंगे। गौरतलब है कि ट्रंप ने मुलाकात से पहले जापानी प्रधानमंत्री शिजो अबे और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून से फोन पर बातचीत की थी। वार्ता के बाद ट्रंप ने जापान और चीन के प्रयासों को लेकर उनकी सराहना भी की थी।

फिलहाल ट्रंप और किम की मुलाकात से दुनिया चैन की सांस ले सकती है मगर उत्तर कोरिया को वार्ता के लिये डोनाल्ड ट्रंप के समीप पहुंचाने हेतु चीन और रूस की पट्टे के पीछे की भूमिका को कमतर नहीं आका जा सकता। वार्ता से पहले किम ने दो बार चीन की यात्रा की जाहिर है कि चीन की सीख उसे काम आई होगी। किम बीते कुछ सप्ताहों में जिस तर्ज पर अपने को परिवर्तित नेता के रूप में परोसने की कोशिश की वह भी वार्ता की सफलता के लिये अहम सिद्ध हुआ। इस मुलाकात के वैश्विक पटल पर कई मायने निकाले जा सकते हैं परन्तु भारत के लिये उत्तर कोरिया एक नया बाजार हो सकता है और कोरियाई प्रायद्वीप में वह अपनी वृद्ध नीति को तत्परता से आगे बढ़ा सकता है। जाहिर है यहां से अब अबाओ की कवायद कूटनीतिक व आर्थिक हितों को साधने की होगी।

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति

कोरियाई प्रायद्वीप अब एक साथ अमेरिका, चीन व जापान जैसे विश्व शक्तियों की कूटनीतिक गतिविधियों का बड़ा केन्द्र हो सकता है। ऐसे में



भारत को भी अपने हितों को लेकर कुछ हद तक सतर्क रहना होगा। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में देशों की आक्रामक नीतियां रही हैं। अमेरिका और कोरियाई द्वीप समेत जापान के साथ यदि चीन का परिप्रेक्ष्य भी सकारात्मक होता है तो इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं पर सच्चाई यह भी है कि चीन को छोड़ सभी देशों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। रिश्ते तो चीन से भी अच्छे हैं ऐसे में इसकी सम्भावना कम है परन्तु फिर भी सतर्क

रहने की आवश्यकता रहेगी। भारत 2016 में चीन के बाद उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार देश था। वह बड़े पैमाने पर यहां स्वाधान की आपूर्ति भी करता रहा। विदेश नीति के जानकार यह मानते हैं कि ट्रंप और किम की मुलाकात के बाद यहां की फिजा बदलेगी जरूर। इसमें दक्षिण कोरिया की भी भूमिका अहम मानी जा सकती है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून पहले से ही भारत आने की तैयारी में है लेकिन उत्तर कोरिया में मंचे घमासान के बीच यह सम्भव नहीं हुआ। सम्भव है कि अगले महीने जुलाई में उनकी यात्रा सम्पन्न हो।

किम जोंग ने भी कहा है कि दुनिया अब नया बदलाव देखेगी। ट्रंप और किम जोंग ने पनपते विश्व अशान्ति को शान्त कर दिया है परन्तु आतंकवाद से दुनिया अभी भी त्रस्त है। भारत के लिये आतंकवाद बड़ा पहलू रहा है। यही कारण है कि ट्रंप की निगाहें पाकिस्तान पर टेढ़ी ही हैं।

भले ही उन्होंने पाकिस्तान को धूर्त देश घोषित किया हो पर आतंक को लेकर अभी अढ़ाई कोस भी नहीं चल सके हैं। सम्भव है कि उत्तर कोरिया से ध्यान हटाकर अब ट्रंप पाकिस्तान पर निगाहें लगायें। यदि पाक

आयातित आतंक से भारत को राहत मिलती है तो यह उसकी बड़ी सफलता होगी और काफी हद तक चीन को भी सबक मिलेगा। सभी जानते हैं कि हर मौके पर चीन पाकिस्तान के साथ होता है। फिलहाल सिंगापुर में इस साल की सबसे जबरदस्त तस्वीर तब देखने को मिली जब ट्रंप और किम टेबल टॉक कर रहे थे और दोस्ती की मिसाल के साथ इतिहास गढ़ रहे थे। वार्ता के दो दौर थे और इसकी गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप ने दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक समस्या का हल इस वार्ता को करार दिया। परमाणु बम पर बटन दबाने की धमकी देने वाले दोनों नेता आपस में मुस्कुरा और खिलखिला रहे थे।

कह सकते हैं कि पहली मुलाकात का आगाज यह है तो किम द्वारा किया गये वायदे जिसे करार ट्रंप को पूरा विश्वास है कि निभाया जायेगा उस पर किम खरा उतरता है तो अमेरिका का उत्तर कोरिया के प्रति आने वाले दिनों में अंदाज कहीं अधिक सकारात्मक और अलग दिखेगा। सबके बाद दो टुक यह है कि 12 जून, 2018 अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी में एक ऐसी तिथि है जिसका मंथन कई अवसरों पर समय के साथ किया जाता रहेगा। (देखन्धु से साभार)

महाराणा प्रताप बुन्दलों के गौरव रहे हैं

युग पुरुष महाराणा प्रताप मन, वचन व कर्म से मातृभूमि की रक्षा के लिये समर्पित रहे। इनका इतिहास आन, बान, शान और वीरता के लिये बीता है। महाराणा प्रताप बुन्देला गौरव की मशाल राजस्थान में रहे हैं। ज्येष्ठ तृतीय शुद्धि: को अर्थात् मई सन् 1550 को अपने ननिहाल के गृह पैदा हुये थे। माता जगन्ता व पिता उदय सिंह महाराज रहे। ओरछा में बुन्देला राज्य की स्थापना करने वाले रूढ़ प्रताप के वंशज थे। राणा प्रताप ने बाल्यकाल से अस्त्र-शस्त्र, युद्धवारी और राज्य संचालन की दक्षता पा ली थी। इनके पिता ने मुगलों की विस्तार नीति के कारण चित्तौड़ को त्याग कर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में सुरक्षा की दृष्टि से शरण ली थी। इसी के परिणामस्वरूप उदय नगर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब मुगल अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। प्रताप और भाई ने घर की पूंजी लगा करके थोड़ी सेना तैयार की और बुन्देल को मुगलों से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था। राणा प्रताप ने कई कठिनाइयों एवं कष्टों को सहते हुये अकबर बादशाह की अंश मात्र भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन का धैर्य, आत्म विश्वास और अनवरत प्रयत्न विश्व इतिहास में एक अनुरूपी उदाहरण है और अपने 25 वर्षीय शासनकाल में अपने नाम को वास्तविक रूप में सार्थक किया था।

राणा प्रताप का मेवाड़ राज्य का युद्ध भूगोल साम्राज्य से अंत तक रहा है। इसे भारत के इतिहास में गौरव पूर्ण माना जाता है। यह सिसोदिया वंश से सम्बंधित थे। पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज सिंहासन पर 28 फरवरी, 1572 को बैठे थे। चित्तौड़ उस समय मुगल बादशाहों की आंख का मुख्य केन्द्र रहा है। मुगलों का उस समय सारे उत्तर भारत में आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। इस कारण राणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुम्भल को कुछ समय हेतु अस्थायी बनाई। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई व सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित थी। गुजरात पर

अकबर ने अपना राज्य स्थापित किया। उस के बाद राणा के पास अपना एक विश्वासपात्र भेजा था। राणा ने उस का खूब आदर सत्कार किया। अपने चौदह वर्ष के बेटे को उस के साथ आगरा के दरबार में भेंट देने हेतु भेजा, ताकि कुछ समय के लिये राणा अपने संगठन को और मजबूत कर सकें। कुछ समय के लिये युद्ध टाला जा सकें। मुगल सम्राट मेवाड़ को समाप्त करना चाहता था। राणा उस की रक्षा में डटे थे। राज



सिंहासन पर बैठने के बाद राणा प्रताप ने मेवाड़ की रक्षा का प्रण लिया था। जब तक इसको स्वतंत्र नहीं कराया जायेगा मैं राजसी ठाठ बाट में नहीं रहूंगा। इसी कारण सारी राजसी वस्तुओं का त्याग कर जंगलों की शरण ली और मेवाड़ को संगठित करने के लिये जीवन लगाया। सेना को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। सम्राट अकबर ने प्रलोभन भी दिये परन्तु राणा ने किसी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। अरावली की पहाड़ियों में आदिवासियों को संगठित किया और युद्ध करते रहे। मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस के बाद गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को परास्त किया। लगभग 24 वर्ष तक राणा प्रताप युद्ध में रहे थे। राणा प्रताप की यह अपनी कूटनीति और कार्यनीति थी। इसके बाद राणा प्रताप ने मुगलों की हर चौकी व थाने जो मुगलों के अधीन रहे उन राजाओं को लूटा व अपार धन एकत्रित किया।

इस का वर्णन लाल कवि के नाम से विख्यात गौरी लाल पुरोहित के प्रबन्ध काव्य में छत्रसाल के युद्धों के वर्णन में मिलता है।

महाराणा प्रताप को कुछ राजाओं ने स्वतंत्र राजा मान लिया था। इस के बाद ही राणा ने कालिंजर दुर्ग को विजय किया। साथ पन्ना को राजधानी बनाया था। जहां उनके गुरु प्राण नाथ की जी जामनगर गुजरात से आकर वा बसे थे। उस समय निरगुनिया भक्ति का जोर था। अपने पसिद्ध ग्रंथ में प्राण नाथ ने वेद, कुरान के उद्धरणों बारे प्रकाश डाला है। हिन्दुओं और मुस्लिमों के धर्मों में बुनियादी अंतर नहीं बताया है। उनके परनाभी सम्प्रदाय में मांस निषिद्ध और स्मृतिपूजा, जाति प्रथा तथा पुरोहितवाद को निरर्थक कहा है। महान संत प्राण नाथ की मौत पन्ना में सन् 1654 को हुई। वही इनकी समाधि है। हर साल वहां एक मेले का आयोजन होता है। साथ प्राण नाथ जी ने यहां हीरों होने का लो भी दिया था। इन का जन्म खेम जी के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। राणा प्रताप ने अपने समय में अकबर के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब अकबर अजमेर आया और मान सिंह को अपना मुख्य सेनापति बनाया।

जून 21, 1576, को हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। इतिहासकारों का कहना है वहां पर एक प्रकार से खून की मानो होली खेली गई हो। राणा प्रताप स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु अंत तक डटे रहे, दूसरी ओर मुगलों ने मुलेला गांव में मान सिंह के नेतृत्व में भारी सेना पहले से ही खड़ी कर रखी थी। सबसे पहले मुगलों ने सूर्योदय से पूर्व हमला बोला। राणा ने

अपनी सेना को ललकारा कि शत्रु पर टूट पड़ो। भयंकर युद्ध हुआ, प्रताप चारों ओर मान सिंह को दृढ़ रहे थे। कहते हैं वे एक हाथी पर सवार हो कर मध्य में था। राणा ने उस पर हमला किया। इस में मरवात सामने आ गया। महावत मारा गया और मान सिंह एक हौद में छिप गया। हाथी वापिस हुआ तो उस ने अपनी ही सेना रौंदी। राणा के शरीर को मुगलों ने असंख्य घावों से जख्मी कर दिया। उनका विजय दिशाने वाला और साथ रहने वाला घोड़ा चेतक बलि की वेदी पर चढ़ गया। उसने मरने से पहले घायल प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाल कर अपनी जान दी। इस युद्ध में 14000 हजार राजपूत सैनिक, भील, मीणा आदि मारे गये और हजारों घायल हुये थे। पराजित होने पर राणा प्रताप की कीर्ति पहले से अधिक फैली। इस युद्ध का वर्णन पं. श्याम नारायण पाण्डेय ने अपने काव्य हल्दीघाटी में किया है। सन् 1577 में कुम्भनगढ़ पर पुनः अधिकार करने के लिये शहबाजवां को अकबर ने फिर भेजा जब राणा स्वयं रात के समय ही दोलन गांव चले गये, क्योंकि यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुरक्षित रहा। यहां अंत तक राणा जी ने तीन वर्ष संघर्षपूर्ण ढंग से दिन काटे। राणा के विरोध में अकबर ने सन् 1584 में आदेश दिया कि इसको बंदी बना करके या मार करके मेरे पास पेश किया जाये। इसी वर्ष फिर राणा जी ने चावण्ड में अपनी राजधानी बनाई और सारे मेवाड़ को सुरक्षा, सुशासन दिया। इसकी आज भी मेवाड़ में प्रशंसा की जाती है। इतिहासकार 12 मई, 1731 को प्रताप की मृत्यु मानते हैं। मरने से पूर्व राणा ने अपने विश्वासपात्र को बुला कर कहा। सभी आजादी की शपथ ले। मातृभूमि की रक्षा और सेवा में राणा प्रताप ने जीवन न्यौछावर कर दिया। स्वयं राज सिंहासन और फूलों की रोज को त्यागा। प्रलोभन न पा कर देशभक्ति का मार्ग अपनाया था।

सुदर्शन अवस्थी इन्दु

प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा सुधार: जे.पी.नड्डा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की उपस्थिति में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर के 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर के आवासीय खण्ड का लोकार्पण तथा गांव थाई में मेडिकल कॉलेज के परिसर का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भवन का निर्माण 206 करोड़ रुपये से किया जाएगा, जबकि आवासीय खण्ड के निर्माण पर 1.91 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इस छठे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों के लिए 100 सीटें होंगी। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय निकट के लगभग चार जिलों के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को

उदार वित्तीय सहायता तथा प्रदेश की सभी मांगों को पूरा करने के लिए हमेशा आभारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सहयोग से राज्य में स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में क्रांति स्तर पर प्रगति हुई है। पूर्व सरकार ने लोगों को केवल खान पान तथा खोखले वायदे किए, लेकिन वर्तमान सरकार स्वयं को पूरा करने में विश्वास रखती है तथा पांच माह के अल्पकाल



में जमीनी स्तर पर जनता द्वारा परिणामों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सदैव केन्द्र सरकार

के समक्ष प्रदेश के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे हैं, जबकि भाजपा के सांसदों ने प्रदेश में रेलवे विस्तार, राष्ट्रीय उच्च मार्गों का निर्माण, स्वास्थ्य अद्योसंरचना का सुदृढीकरण, आईआईआईटी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान आदि की स्थापना जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है तथा केन्द्र ने इन सभी मांगों को स्वीकार

की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नई पहलों पर कार्य आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में छह तथा निजी क्षेत्र में एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के खुलने से लगभग 750 चिकित्सक उपलब्ध होंगे, जिससे प्रदेश में विशेषज्ञों व चिकित्सा अधिकारियों की मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हमीरपुर शहर में बस अड्डा, इंडोर स्टेडियम व पार्किंग के निर्माण की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि वरिष्ठ नागरिक परिषद् हमीरपुर के भवन के निर्माण के लिए भी सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पहले से ही तैयार है तथा कम आबादी होने के बावजूद भी प्रदेश को चार आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, एम्ज व अन्य विभिन्न चिकित्सा संस्थान प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य अद्योसंरचना को सुदृढ करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के आठ जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है तथा अब किडनी रोगियों को डायलिसिस के लिए पीजीआई चंडीगढ़ व अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने प्रदेश में आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी खण्डों, ऊना, सुन्दरनगर, बिलासपुर, मण्डी, घुमारी, कांगड़ा, चम्बा तथा नूरपुर में मातृ व शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त मण्डों में टर्शरी कैंसर केन्द्र सहित विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रदान

की हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश में महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत कार्यक्रम को आरम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न गंभीर रोगों के ईलाज के लिए 55 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये सालाना का बीमा प्रदान किया जा रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हमीरपुर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर में मातृ व शिशु स्वास्थ्य केन्द्र तथा नर्सिंग अस्पताल स्थापित करने की मांग पर निकट भविष्य में विचार किया जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विकासालोक पहलों के लिए उदार सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सदैव प्रदेश की मांगों पर विचार किया है तथा निकट भविष्य में प्रदेश को और अधिक बढ़ी परियोजनाएं प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सक उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा अधिकारियों के 272 पद तथा दंत चिकित्सकों के 52 पद भरे गए हैं तथा शीघ्र ही आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद, नर्सों के 1007 तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के 2000 पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा 12 स्थानों पर आरम्भ की गई है।

प्रदेश के 5 जिलों को राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत लाया गया: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सम्मिलित हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आरम्भ की गई विभिन्न पहलों, जिनमें कृषि क्षेत्र का विकास व वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मनरेगा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इन्द्रधनुष, स्पेशल डिबेल्पमेंट नीड्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, महात्मा गांधी की 150वह जयन्ती को मनाते के लिए सुझाव, जीएसटी अधिनियम, जैम पोर्टल, भीम ऐप तथा आधार और राज्य स्तर पर उपलब्ध विभिन्न अन्तर्दृष्टि निधि का उपयोग करना शामिल है तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की जा रही प्रगति से अवगत करवाया।

जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए 343.12 करोड़ की केन्द्रीय सहायता अभी लम्बित है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई के अन्तर्गत निधि के लिए वर्ष 2016-17 में 99 सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, हालांकि सभी शर्तें पूरी करने के बावजूद इस सूची में हिमाचल प्रदेश की एक भी योजना शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आग्रह किया है त्वरित सिंचाई लाभ योजना (एआरबीपी) के अन्तर्गत निधि के लिए 156.31 करोड़ रुपये की मध्यम सिंचाई परियोजना नवीन और 204.51 करोड़ रुपये की फिना सिंह सिंचाई परियोजना को इस सूची में शामिल किया जाए क्योंकि इन योजनाओं में सभी शर्तें पूरी की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत लम्बित निधि को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया तथा कहा कि इन दोनों सिंचाई परियोजनाओं को 99 प्राथमिकता परियोजनाओं की

सूची में शामिल किया जाए, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वर्तमान वर्ष में 9 योजनाओं को कार्यान्वित करेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए पानी की कमी ब्रेल रहे प्रदेश के पांच जिलों के लिए 4751



करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जल संरक्षण एवं प्रबन्धन का एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से निधि के लिए केन्द्र के समक्ष उठाया है। उन्होंने बताया कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक 10 लाख नए पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना, मुख्यमंत्री निरोग योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना तथा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष जैसी नई योजनाओं को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 10 लाख से भी अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा स्वास्थ्यगत प्रसव की दर 50 से बढ़कर 80 प्रतिशत हुई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के लिए निधि 20:80 के अनुपात से प्रदान जा रही है, जिसमें 20 प्रतिशत केन्द्र तथा 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश प्रदान कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर 90:10 के अनुपात के अनुसार वित्तीय सहायता

के लिए आग्रह किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत चम्बा, हमीरपुर, सोलन, शिमला और ऊना जिलों को लाया गया है तथा प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक पदों को भरने के प्रयास कर रही है। भारत

देसी नस्ल की गायों का संरक्षण आवश्यक: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। प्रदेश में देसी नस्ल की गायों के पालन व संरक्षण पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। देसी नस्ल की गायें सदियों से किसानों व उपभोक्ताओं को बेहतर दूध प्रदान करने का स्रोत रही हैं। लोगों ने सदैव ही देसी नस्ल की गायों पर विश्वास जताया है तथा प्रदेश सरकार राज्य में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से पशुपालन के विकास व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

यह बात पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित जेए-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान व तकनीक विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति द्वारा आयोजित 25वीं बैठक में कही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में कृषि अनुसंधान व शिक्षा की समीक्षा के साथ-साथ इन प्रदेशों में कृषि, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन व वन क्षेत्र से सम्बन्धित स्थल विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण, विचार विमर्श व सन्तुष्टि करना है।

मंत्री ने उच्च जेनेटिक गुणवत्ता वाले देसी बैलों के भ्रूण/वीर्य की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तराखण्ड के पशुपालन निदेशक ने आश्वासन दिया कि एक माह के भीतर 4500 लीटर से अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य वाले लाल सिन्धी नस्ल के बैलों की वीर्य की 45000 डोज की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रूण की आपूर्ति भी मांग के अनुसार की जाएगी।

कंवर द्वारा साहिवाल नस्ल के वीर्य के सुदृढ को उठाने पर प्रतिक्रिया करते हुए एनडीआरआई करनल के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि साहिवाल नस्ल के उच्च जेनेटिक गुणवत्ता वाले बैलों के वीर्य की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गायों की संख्या को स्तरोन्नत करने के लिए पालमपुर स्थित वीर्य केन्द्र के लिए कुछ समय में बैलों की आपूर्ति भी की जाएगी।

वीरेन्द्र कंवर ने पशु-चारे की कमी की समस्या से निपटने के लिए चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति को संयोजित आहार खण्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्मों में अन्न: प्रजनन की समस्या से निपटने के लिए जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड द्वारा 40 मेहे तथा प्रत्येक प्रदेश के लिए एम्बुलेंस व मरीनों नस्ल की 200 भेड़ें आयात करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा तथा केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सीएसकेएच पीकेवी पालमपुर ने अप्रिशन गौ-सदमज के लिए एक सत्त मॉड्यूल विकसित किया है, जो कि आगामी कार्यवाही के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुमैला उत्पादन के लिए लाहौल-स्पिति के भेड़ पालकों की सुविधा के लिए जम्मू-कश्मीर के लद्दाख से चंगथांगी नस्ल की बकरियां लाई जाएंगी।

शिमला में पुनः सामान्य हुई पानी की सप्लाई

शिमला/शैल। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नार्थ इंडिया ने पर्यटकों और भ्रमण प्रेमियों के लिहाज से एक अच्छी खबर सुनाई है इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा किये पर्याप्त इंतजामों के साथ अब पानी की सप्लाई पुनः सामान्य हो गई है पर्यटक अब बिना किसी चिंता के हिमाचल राज्य की इस खूबसूरत राजधानी की रस कर सकते हैं।

पर्यटन जो कि शिमला जैसे पहाड़ी राज्यों में होटल उद्योग के लिये मुख्य आधार है पानी की कमी के दुर्भाग्यपूर्ण हालत की वजह से इस पर बहुत बुरा असर हुआ था, लेकिन ये हालत अब ठीक हो चुके हैं। इसलिये कि शिमला शहर की यात्रा बिना किसी शंका या चिंता के ही की जा सकती है। क्योंकि मेहमानों की सुविधा का ध्यान रखना होस्पिटलिटि इंडस्ट्री के लिये प्रमुख महत्व का विषय है।

संजय सूद, प्रेसिडेंट (एचआरएन

आई) तथा ईसी सदस्य एफएचआरआई के अनुसार इस उद्योग के हिस्सेदार होने के नाते हम हिमाचल प्रदेश और खासतौर पर शिमला की यात्रा करने

सूद ने आगे कहा- इस संदर्भ में क्षेत्र का समस्त होटल उद्योग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा कार्यवाहक प्रमुख न्यायधीश संजय करोल के दिल से



वाले पर्यटकों को इस बात के लिए निश्चित भी करना चाहेंगे कि होस्पिटलिटि फेक्टिटी पूरी तरह से अपने मेहमानों की सभी जरूरतों तथा आकांक्षाओं का ठीक वैसे ही ध्यान रखने को सभी सुविधाओं के साथ तैयार हैं जैसे पहले रखा जाता था।

आभारी हैं कि उन्होंने पर्यटकों का ध्यान रखने वाले सभी संस्थानों के लिये पर्याप्त पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया साथ ही हम हमारे दूरदृष्टि रखने वाले मुख्यमंत्री की अगुआई में चलते जा रहे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अभियान के लिए भी धन्यावाद

अदा करते हैं जिसके अन्तर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विस्तारपूर्वक रणनीतिक रोडमैप बनाया जा रहा है।

एचआरएनआई होटल उद्योग से जुड़े तथा रेस्त्रां संचालकों का सबसे पुराना शीर्षस्थ संगठन होने के नाते यह महसूस करता है कि शिमला तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रभावित हिस्सों में पर्यटकों के प्रवाह को बनाये रखने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने चाहिये। ऐसे केंसों में हम मीडिया के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होते हैं इसलिये हम मीडिया से यह अनुरोध करते हैं कि वे अपनी रिपोर्टिंग द्वारा सामान्य हो चुकी पानी की सप्लाई के बारे में बताएं ताकि राज्य में पर्यटन को फिर से गति मिल सके।

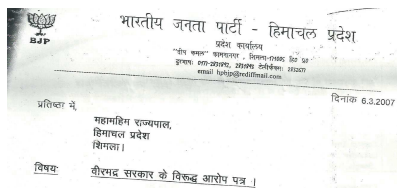
इस स्थिति की तत्कालिक आवश्यकता यही है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मीडिया द्वारा सही, सटीक और रचनात्मक

जानकारी का प्रसार किया जाए। सुकून देने वाला मौसम और मंत्रमुग्ध कर देने वाले पहाड़ देश और दुनियाभर के पर्यटकों के स्वागत के इंतजार में है।

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नार्थ इंडिया (एचआरएनआई) एफएचआरआई फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट का एक उत्तरी संगठन है जो 9 उत्तर भारतीय राज्यों के होटल और रेस्टोरेंट उद्योग की शीर्षस्थ संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस एसोसिएशन की स्थापना 1950 में प्रसिद्ध राय बहादुर एमएस ओबरोय ने की थी। तब से ही यह संस्थान अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली होस्पिटलिटि इंडस्ट्री के लिये असहज हो चुकी पानी की सप्लाई को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है यह नौ राज्यों में शामिल है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, यूपी तथा उत्तराखंड।

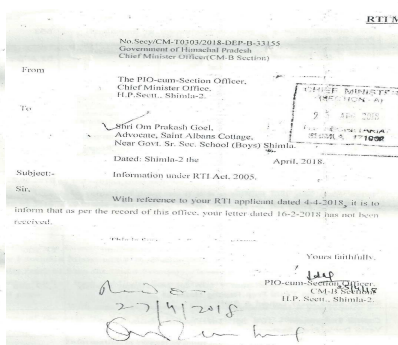
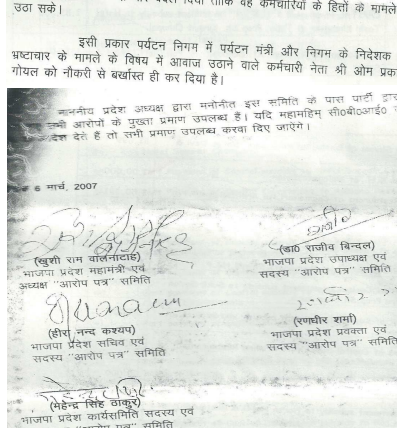
पांच माह में ओक ओवर से सचिवालय

पृष्ठ 1 का शेप

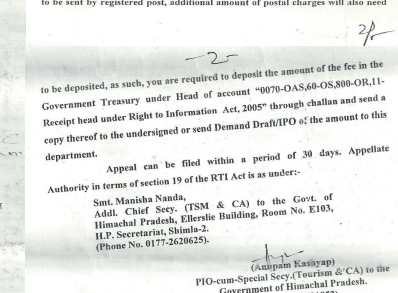


प्रतिष्ठा मे महामहिम राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश शिमला।
विषय: वीरपद सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र।
महामहिम।
वर्ष 2003 में वीरपद सरकार प्रदेश शासितों से लम्बे चौड़े वायदे कर गतालोई हुई थी, वस्तु सस्ता भी आने पर जमाने से किए सभी वायदे मूल गई। वीरपद शासितों द्वारा ही, जिसके कारण प्रदेश का हर वर्ग आकांक्षित न विरह है।
जनविरोधी निर्णय एवं भ्रष्टाचार के कांडे वास्तविक को लिए एक सचिवालय का गठन किया था जिससे सरकार के विरुद्ध एक गंभीर आरोप पत्र तैयार किया है, जो महामहिम को प्रेषित है।
भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की निम्नलिखित सरकार से प्रदेश की मुक्ति मिल सके। सभी आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए जो कि महामहिम को प्रेषित है।
सबसे बुरा एवं निम्नलिखित वीरपद सरकार को मुक्त कर दिया जाए ताकि इस गंभीर निम्नलिखित आरोपों से प्रदेश की मुक्ति मिल सके। सभी आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए जो कि महामहिम को प्रेषित है।
(मैम कुमार धुमा)
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिष्ठा शिवा

• **कर्मचारी उत्पीड़न**
कार्यक्रम सरकार ने उनकी गलत नीतियों पर आज्ञा उठाने वाले और कर्मचारियों के हितों को लड़ाई लड़ने वाले कर्मचारी नेताओं को निलंबित कर दिया है। सर्वश्री देव राज शर्मा, होशियार सिंह ठाकुर व सत्यप्रकाश ठाकुर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व महामंत्री हिो जे विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ को वित्त 3 वर्षों से बर्खास्त ही कर दिया गया है।
हाल ही में कर्मचारी दूरदृष्टता बीमा का घोटाला उठाने वाले कर्मचारी परिषद के महामंत्री श्री विनोद कुमार को 2 वर्षों में तीन बार स्थानांतरित और बिना से किन्नोर के लिए कर दिया है। कर्मचारी महामंडल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री नीलेश कुमार को डेढ़ वर्ष में दो बार बदल दिया ताकि वह कर्मचारियों के हितों के मामले न उठा सके।
इसी प्रकार पर्यटन निगम में पर्यटन मंत्री और निगम के निदेशक के भ्रष्टाचार के मामले के विषय में आज्ञा उठाने वाले कर्मचारी नेता श्री ओम प्रकाश गोयल को नीलंबित से बर्खास्त ही कर दिया है।
महामहिम प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मनोनीत इस समिति को घात पाटी द्वारा सभी आरोपों के मुक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। यदि महामहिम सीबीआईओ से निम्नलिखित देते हैं तो सभी प्रमाण उपलब्ध करना दिए जाएंगे।



No.TSM-A(7)(2018-4)
Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation
From: PTO-cum-Special Secy (Tourism & CA) to the Government of Himachal Pradesh.
To: Shri P.P. Goel, R/O Saint Albans Cottage, Near Govt. Sr. Secondary School (Boys) Shimla-171001.
Dated Shimla-2, the 7.04.2018.
Subject: Application for information under RTI Act.
Please refer to your application dated 8.03.2018 received on 15.03.2018 on the subject cited above.
In respect of point no. i) it is submitted that your letter dated 16.02.2018 which was addressed to Chief Secretary to the Govt. of H.P. was received without forwarding letter in this Department. Your letter dated 16.02.2018 has not been received from the Chief Minister's Office.
Your letter dated 16.02.2018 was also received from the Private Secretary to Education Minister, H.P., a copy of U.O. letter of Private Secretary to Education Minister, H.P. contain 01 page. Your letter dated 16.02.2018 was also received from the Under Secretary, Governor's Secretariat, H.P., a copy of letter received from the Under Secretary, Governor's Secretariat, H.P. contain 01 page.
With regard to point no. ii) it is informed that if you require a copy of the page No. 1 & 11 of your letter dated 16.02.2018 received from different authorities separately, it contains 06 pages.
Information in respect of point no. iii) contain of 13 pages.
Information in respect of point no. iv) contain of 1 page.
In all, above mentioned papers contain of 22 pages. If you require a copy of the above mentioned papers in all, you are requested to deposit the fee of Rs. 44/- @ Rs. 2/- per page (including A-5 Legal size papers in reduced size) for getting a copy of above mentioned papers. In case, you desire the information to be sent by registered post, additional amount of postal charges will also need to be deposited, as such, you are required to deposit the amount of the fee in the Government Treasury under head of account "0070-OAS-60-OS-800-OR-11- Government Treasury under Right to Information Act, 2005" through challan and send a Receipt head under Right to Information Act, 2005 of the amount to this department.
Appeal can be filed within a period of 30 days. Appellate Authority in terms of section 19 of the RTI Act is as under:-
Smt. Manisha Nanda, Addl. Chief Secy. (TSM & CA) to the Govt. of Himachal Pradesh, Secretaries Building, Room No. E103, H.P. Secretariat, Shimla-2. (Phone No. 0177-2620625).



तो क्या इससे मुख्यमन्त्री के अपने ही सचिवालय की कार्यप्रणाली पर आम आदमी का भरोसा बन पायेगा। प्रतिवेदन में की गयी मांग से सहमत होना या न होना प्रतिवेदन का आकलन करने वाले का अपना अधिकार है लेकिन उस प्रतिवेदन पर हुई कारवाई की जानकारी तो प्रतिवेदन देने वाले को मिलनी चाहिये यह उसका अधिकार है। यदि प्रतिवेदन से असहमत हो तो असहमति के आधार जानने का भी प्रतिवेदन देने वाले को अधिकार है लेकिन जब प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री के यहां से कहीं पहुंचे ही नहीं तो फिर सारी कार्यशैली की नीयत और नीति पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्योंकि इस प्रतिवेदन में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को लेकर गंभीर आरोप हैं और इससे यही संदेश जाता है कि बड़े के भ्रष्टाचार पर केवल जनता में भाषण ही दिया जा सकता है उन पर कारवाई नहीं। ऐसे में जिन बड़े लोगों से संपर्क करके समर्थन मांगा जा रहा है उन सबके लिये यह एक बड़ा आईना है जिसमें वह सरकार की सही छवि का दर्शन और फिर आकलन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे और कई मामले आने वाले दिनों में सामने आयेगे।

Om Parkash Goel, M.Com. LLB and DPM & IR, Advocate, Shimla - 171001. Mobile Phone: 94184 58533. No. 7.04.2018.
To: Shri Jai Ram Thakur, Hon'ble Chief Minister of Himachal Pradesh, Shimla - 171 002.
Sub: Appeal / Review of the Void, illegal, arbitrary, unconstitutional decisions dated 20.2.2010, 15th July, 2014 and 10th SENSE decision dated 30th March, 2018 of the Board of Directors, HPTDC, Shimla on my appeals dated 22.2.2008 and 2nd appeal dated 12th July, 2011 against my void, illegal, unconstitutional and mala fide dismissal from service orders dated 23.1.2007 passed by Shri Arun Shrivastar, then MD, HPTDC, Shimla - Request to allow my appeals dated 22.2.2008 & 12.7.2011 and set aside the said void orders dated 23.1.2007 and reinstate the services of the appellant with all consequential benefits.
Sir,
With due respect, I may humbly submit that I have written a by name letter dated 16.2.2018 addressed to the Hon'ble Governor of HP and Hon'ble Chief Minister of HP, Hon'ble Law Minister of HP and the Chief Secretary, HP on the subject cited above. I have personally delivered this letter consisting 194 pages in all to your good self on 19th Feb, 2018 at about 6.40 PM at your residence. When I requested for justice you asked me why Shri P. K. Dhurnal the then Chief Minister has not provided me justice. I explained you the reasons as to why Shri P. K. Dhurnal, as Chief Minister has not provided me justice. You assured me that you will provide me justice since you were well aware with my case and had taken up this matter with the then Governor of HP projecting me as victimized employees leader in your Charge sheet submitted to him during March, 2007 duly signed by you as president of BJP and Shri P. K. Dhurnal as leader of opposition. I again met you on 1st March 2018 at about 8.15 PM at your residence and requested for early justice. Mrs. Manisha Nanda, Additional Chief Secretary was also present there. You again assured me early justice.
2. I may painfully submit your good self that what I told of justice my letter dated 16.2.2018 delivered by me personally to you was recovered either in your own Chief Minister office nor in the Additional Chief Secretary (Tourism) office, which I have been informed to me under the RTI Act, 2018 by PTO cum Section Officer, C. M. Section - B, Office under his letter No. Secy/CMTO/303/2018-DEP-B-33155 dated 28th April, 2018 (Copy enclosed) and the PTO cum Special Secretary (Tourism & CA) letter No. TSM-A(7)-12/2018-I dated 7.4.2018 (Copy enclosed). I was informed by both PIO's in reply to my RTI applications vide which I sought information from both of them about the process of my case and action taken by you and down the respective offices.
Please let me know about the fate of my appeal dated 16.2.2018 where it is lying and I may also be informed whether I shall get justice or you will also betray your promise as Mr. P. K. Dhurnal the then Chief Minister did during 2007.
Thanking You,
Yours faithfully,
(Om Parkash Goel) 7.04.2018

सुक्खु-वीरभद्र द्वन्द में फिर लगी कांग्रेस दाव पर

शिमला/शैला। पिछले दिनों काँग्रेस हाईकमान ने राजनीति पाटिल को प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के बाद वीरभद्र सिंह ने फिर से प्रदेश अध्यक्ष सुखसु को हटवाने की मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम की झुझाट उन्होंने रानी पाटिल के लिये प्रदेश का काँग्रेस मुख्यालय में आयोजित की गयी पहली ही बैठक में गैर हाजिर रह कर की। इसके बाद अब प्रदेशभर में अपने समर्थकों की बैठकों करके सुखसु को खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। इन बैठकों के पहले बजाने और हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला और बिलासपुर में यह बैठकों की गयी हैं। इन बैठकों में पार्टी के भीतर बैठे वीरभद्र के वैचारिक विरोधियों को आमन्त्रित तक नहीं किया गया। एक प्रकार से वीरभद्र प्रदेश में समानान्तर काँग्रेस खड़ी करने की लाईन पर चल पड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से वीरभद्र ने अपने समर्थकों की बैठकों करके हाईकमान को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हिमाचल में वीरभद्र ही काँग्रेस है। यदि इस देवाव को बाद भी हाईकमान सुखसु को नहीं हटाती है तब वीरभद्र के पास पार्टी को दो फाड़ करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है क्योंकि इस बार वह बहुत दूर निकल आये हैं। वीरभद्र की दबाव की राजनीति और रणनीति के आगे हाईकमान इस बार कितना झुकता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इसी दबाव की रणनीति के सहारे 1983 में वीरभद्र प्रदेश को मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 1993 में जब सुखराग को हाईकमान का आशीर्वाद मिलने की बात तब वीरभद्र ने विधानसभा का घेराव करवाकर कुर्सी पर कब्जा किया।

इस तरह प्रदेश की राजनीति और वीरभद्र की राजनीति की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि वीरभद्र ने जो हासिल किया है वह दबाव की राजनीति का ही परिणाम रहा है। वीरभद्र 1983 से लेकर अबतक करीब 22 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश जिस स्थिति से गुज़र रहा उसके लिये वीरभद्र बहुत हद तक जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि जब वीरभद्र ने अप्रैल 1983 में प्रदेश संभाला था उस समय प्रदेश के पास 80 करोड़ सरप्लस था यह जानकारी 1998 में जब धूमल ने प्रदेश की वित्ति स्थिति पर खेत पत्र रखा था उसमें दर्ज है। आज प्रदेश का कर्ज पचास हजार करोड़ से ऊपर जा चुका है। लेकिन यदि यह सवाल पूछा जाये कि इस कर्ज का निवेश कहाँ हुआ है तो शायद प्रशासन के पास कुछ बड़ा दिक्कत लायक नही है। 1990 में जब शान्ता कुमार जेपी उद्योग को प्रदेश में लाये थे तब वीरभद्र ने पूरे प्रदेश में यह आन्दोलन खड़ा कर दिया था कि प्रदेश को नीजि क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। 1993 में दोसरे में आते ही शान्ता काल के बेनामी सौदों पर एसएस सिद्धु की अध्यक्षता में जांच बिठा दी थी परन्तु उसकी रिपोर्ट पर कोई कारवाही नहीं की थी। 1983 में जिस फारेस्ट मॉर्निंग के खिलाफ जिहाद छेड़कर सत्ता हासिल की थी आज उसका आलम यह है कि प्रदेश में वनभूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय को कड़े आदेश जारी करने पड़े हैं। इन अवैध कब्जों में ही रोहडू का स्थान प्रदेश में पहले स्थान पर आता है। 1993 से 1998 के बीच सरकारी विभागों और निगमों में हजारों लोगों को चिट्ठों पर भर्ती करने का

किर्तिमान भी वीरभद्र सिंह के ही नाम है। यदि अभय शुक्ला और हर्ष गुप्ता कमेटीयों की रिपोर्ट पर धूमल ने कारवाई की होती तो आज प्रदेश की राजनीति का स्वरूप ही कुछ और होता। वीरभद्र के शासन में ही प्रदेश के सहकारी बैंकों का एनपीए ही 900 करोड़ से ऊपर हो



गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में करीब एक लाख बीएड और एमएड बेरोजगारों के तौर पर पंजीकृत हैं और दूसरी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में करीब नौ हजार ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं जिनके पास जेबीटी और बी एड की कोई डिग्री ही नहीं है। प्रदेश की इस स्थिति के लिये सबसे

अधिक जिम्मेदार वीरभद्र ही रहे हैं।

व्यक्तिगत तौर पर भी आय से अधिक संपत्ति मामले में जिस तरह से अभी तक वीरभद्र घिरे हुए हैं वह सबके सामने है। ईडी ने जिस तरह से वीरभद्र के साथ सहअभियुक्त बने आनन्द चौहान और वक्का मुल्ला

चन्द्र शेखर को गिरफ्तार कर लिया तथा मुख्य अभियुक्त वीरभद्र को छोड़ दिया। इसको लेकर जो चर्चाएं लोगों में चल रही हैं उस पर मोदी सरकार से लेकर वीरभद्र तक किसी के पास भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं है। क्योंकि कल तक इस मामले को लेकर जो आरोप पूरी भाजपा लगाती

रही है यह आज इस पर जुवान खोलने की स्थिति में नहीं है लेकिन वीरभद्र भी इस स्थिति में नहीं है कि वह एक सके की मोदी की प्रेजेन्समें उनको खिलाफ झूठा मामला बनाया था और आनन्द चौहान की गिरफ्तारी एकदम गलत थी। इस परिदृश्य में जब वीरभद्र की सुस्तुत हटाओ मुहिम का आकलन किया जाये तो यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह सब करने में उनकी नीयत क्या है? क्योंकि वह किसी पार्टी की सरकार बन जाती है तब संगठन के जिम्मे उस सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार रहता है। सरकार संगठन पर हावी रहती है संगठन सरकार को आगे एक तरह से बैना पड़ जाता है कम से कम कांग्रेस में तो यही प्रथा रहती आयी है। वीरभद्र सरकार का पछिला कार्यकाल उपलब्धियों के नाम पर बिन्दुल नगण्य रहा है। इस काल में कोई बड़ी परियोजना बड़े निवेश के साथ प्रेक्ष में नहीं आ पायी है। आवश्यकता से अधिक ऐसे सम्पन्न खोल दिये गये जिन्को चला पाना किसी के लिये भी संभव नहीं हो पायेगा। वित्त विभाग वीरभद्र के ईश्वरों पर नाचना रहा और केवल कर्ज जुटाने की ही जगहा में लगा रहा। भारत सरकार

के मार्च 2016 के पत्र की अनदेखी करके कर्ज उठाया जाता रहा। इसलिए यह कहना गलत होगा कि संगठन ने सरकार का साथ नहीं दिया। बल्कि जब वीरभद्र के लोगों ने वीरभद्र ब्रिगेड बनाकर समानान्तर संगठन खड़ा करने का प्रयास किया था उसी समय यह स्पष्ट हो गया था कि आने वाला समय प्रदेश में कांग्रेस के लिये नुकसानदेह होने जा रहा है और ऐसा हुआ भी। क्योंकि वीरभद्र पूरी तरह से कुछ स्थायी लोगों से भर गये थे। आज जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पुनः सशक्त होने के प्रयास कर रही है जिसका संदेश कर्नाटक और उसके बाद हुए उपचुनावों के परिणामों से सामने आ चुका है। ऐसे में वीरभद्र का अपने ही संगठन में कुछ लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलना अप्रत्यक्षतः कांग्रेस को कमजोर करके भाजपा को ही लाभ पहुंचाने का प्रयास माना जा रहा है। क्योंकि सुक्कुल का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा हो चुका है उनका हटना तय है। वीरभद्र इसे जानते हैं फिर भी वीरभद्र का सुक्कुल विरोध सुक्कुल को हटाने से ज्यादा अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने का प्रयास ही माना जा रहा है।

शिमला में पहली ही पत्रकार वार्ता में जयराम ने साथ नहीं रखा कोई भी मंत्री

शिमला/शैला। जिस जयराम को वीरभद्र राजनीति में बचा करार देते आ रहे हैं उसने पांच माह में ही एशियन विकास बैंक से 4378 करोड़ की योजनाएं पर्यटन, पेयलान और बागवानी क्षेत्र में स्वीकार कर वीरभद्र और अपने विरोधियों को बड़ करार जबाब दिया है। यही नौना बलिक 4751 करोड़ की एक और योजना भी स्वीकृत की कगार पर पहुंच चुकी है। जबकि वीरभद्र के शासनकाल में केवल 2011 में ही एक 600 करोड़ की एक योजना पर ही काम हो पाया है। यह जानकारी मुख्यमन्त्री जयराम ने शिमला में अपने पदभार संभालने के बाद आयोजित हई पहली पत्रकार वार्ता में रखी।

पर्यटन के क्षेत्र में 1892 करोड़ की योजना स्वीकार हुई है और इसका प्रारूप प्रधानमन्त्री को 26 फरवरी 2018 को भेजा गया था। इस योजना को लेकर पत्रकार वार्ता में जो पत्र जमा किया गया है उसमें यह दावा किया गया है कि इस योजना का प्रारूप तैयार करने से पहले प्रदेश के 324 स्थलों का सर्वेक्षण किया औ 90,000 पर्यटकों से पर्यटन के विकास के लिये राय मांगी है। स्वभाविक है कि इतनी बड़ी योजना तैयार करने के लिये इस स्तर का झूठाई वर्क किया जाना आवश्यक है लेकिन क्या पर्यटन विभाग ने दो हाथ में ही 324 स्थलों का सर्वेक्षण भी कर लिया औ 90,000 पर्यटकों से राय भी ले ली? इतना आधारभूत काम करने के लिये तो कम से कम एक वर्ष का समय चाहिये जबकि अभी सरकार को सत्ता में आये छः माह भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में दावा किया है कि यह योजना एकदम मौलिक है और पूर्व सरकार को समय इसका स्वयं तक नहीं लिया गया था। स्वभाविक है कि दावा विभाग द्वारा दी गयी फीडबैक

पर आधारित रहा होगा जिसकी
व्यवहारिक प्रसांगिकता पर किसी ने
ध्यान नहीं दिया है।

इसी तरह बागवानी के क्षेत्र में भी 1688 करोड़ की योजना स्वीकृत होने का दावा किया गया है। इस योजना से प्रदेश के निचले क्षेत्रों के किसान और बागवान लाभान्वित होंगे। इस योजना से पहले भी एशियन विकास बैंक से पोषित एक योजना बागवानी के क्षेत्र में चल रही है जिसको लेकर



वर्तमान भागवानी मंत्री मेहनत सिंह ठाकुर और पूर्व मंत्री विद्या स्टोक्स में काफी लंबी जुवानी जंग भी रही है क्योंकि विद्या स्टोक्स यह दावा करती रही है कि पूर्व योजना में भी प्रदेश को निचले क्षेत्र बराबर शामिल रहे है लेकिन मेहनत सिंह स्टोक्स को इस दावे को सिर से स्वारित करते रहे हैं। इस योजना का आकार लेते समय यह सवाल अवश्य उठेगा कि एक ही एजेंसी एक ही योजना दो बार सही में ही धन दे रही है या इसमें भी विभाग हस्त हस्ता के सामने तथ्य रखने में कोई चुक नहीं है। इसपर स्थिति तब स्पष्ट होगी जब विकास बैंक की टीम शिपीआर का आकलन करने आयेगी।

सिंचाई एवम् जनस्वास्थ्य विभाग
के तहत 2001 से पहले की निर्मित

1421 पेपजल योजनाओं के संवर्द्धन के लिये 798.19 की करोड़ की एक योजना स्वीकृत हुई है। इस योजना के लिये 80 % धन एंशियन विकास बैंक उपलब्ध करवायेगा और 20 % (159.54 करोड़) राज्य सरकार को अपने साधनों से जुटाना होगा यह जानकारी इस आश्रय के जारी हुए प्रेस नोट में दी गयी है। जबकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो पहले वित्त सचिव भी थे ने यह दावा किया है कि इन योजनाओं के लिये राज्य सरकार को केवल 10 % के ही अपने हिस्से के रूप में देना होगा। 10 % के हिस्से की शर्त एंशियन विकास बैंक की सभी योजना पर लागू होगी या केवल पर्यटन और बागवानी पर ही होगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है।

एशियन विकास बैंक की इन योजनाओं को जमीनी आकार लेने में समय लगेगा। क्योंकि इन स्वीकृतियाँ बाढ़ सिद्धान्त रूप में ही मिली हैं। इसके बाद इनकी डीपीआर बननी और उसका निरीक्षण विकास बैंक की टीम करेगी। उसके बाद ही एम ओ यू साईन होगा। इतना योजनाओं की सैद्धान्तिक स्वीकृति लेकर भी अपने में एक उपलब्धि है। लेकिन इनको लेकर समय समय पर खबरें छपती भी रही हैं ऐसे में क्या इन योजनाओं को लेकर इस रेटेज पर ही मुख्यमन्त्री द्वारा पत्रकारों को किया जाना आवश्यक था या नहीं इसके लेकर भी चर्चाएँ चल पड़ी हैं। क्योंकि इन योजनाओं को इस अंजाम तक पहुंचाने में संघर्ष मन्त्रीयों का भी योगदान रहा है ऐसे में बहुत

मौके पर संवद्ध मन्त्री का भी साथ होना बनता था। फिर राजधानी में मुख्यमन्त्री बनने के बाद यह जयराम की पहली प्रैस वार्ता थी। विपक्ष इस समय सरकार और मुख्यमन्त्री पर यह आरोप लगा रहा है कि सारे मन्त्री और विधायक उन्हें सहयोग नहीं दे रहे हैं। इस पत्रकार वार्ता में किसी भी मन्त्री का कोई साथ शामिल न रहना केवल यही संकेत देता है कि यह वार्ता अधिकांशियों की सलाह पर बुलाई गयी थी क्योंकि इसकी जानकारी मीडिया को केवल तीन घण्टे पहले ही दी गयी थी। फिर इस वार्ता में पर्यटन को लेकर मुख्यमन्त्री से यह दावा करवा दिया गया कि यह विचार यह विज्ञान केवल अभी की उपज है जबकि प्रैस नोट में दर्ज आंकड़ें इसको सत्यापित नहीं करते हैं। स्वभाविक है कि सरकार द्वारा स्वयं अनेक ही प्रैस नोट में दिये गये आंकड़ों के आधार पर मुख्यमन्त्री को दावे पर विपक्ष सवाल खड़े करेगा जिनका कोई तर्क संगत जवाब नहीं होगा।

मुख्यमन्त्री ने पत्रकार वार्ता में जिस तर्ज पर वीरभद्र और मुकुंदश अग्निहोत्री पर हमला बोला है उसकी धार के पहली ही प्रेस वार्ता में मन्त्रीयों और पार्टी के पदाधिकारियों का साथ न होना स्वयं ही कुन्द कर जाता है। इस वार्ता से स्वतः ही यह संदेश गया है कि मुख्यमन्त्री अपने मन्त्रीयों से अधिक अधिकाधिकारों पर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं और यह भूल रहे हैं कि कल तक यही अधिकारी वीरभद्र के हर फैसले का आँख बन्द करके अनुमोदन कर रहे थे। इन्हीं के गलत फैसलों का परिणाम है कि आज न्कलों में अध्यापकों के लिये बच्चों को हड़ताल करनी पड़ रही है और दवाब में एक प्रधानाचार्य की हार्दअटक से मौत तक हो गयी है।